



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

website-[msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

e-mail ID - [nss@msuniversity.ac.in](mailto:nss@msuniversity.ac.in)

पत्रांक : 33 / एन०एस०एस० / एम.एस.यू. / 2023-24

दिनांक: 18/07/2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / संस्थान

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,

सहारनपुर।

विषय:- वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ के पत्रांक सं०-905/रा०उ०शि०प०/53/19 T.C. दिनांक 18.07.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक आयोजित किया जाना है।

उक्त के आलोक में समस्त महाविद्यालय उक्त पत्रांक का अवलोकन करते हुए दिये गये निर्देशानुसार कृत कार्यवाही कर कार्यालय ई-मेल [nss@msuniversity.ac.in](mailto:nss@msuniversity.ac.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० भूपेन्द्र कुमार)

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर।

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना



## उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

पत्रांक 905/रा0उ0शि0प0/52/197-C

दिनांक : 18-07-2023

सेवा में,

कुलसचिव,  
सभस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

विषय : वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1915/सत्तर-3-2022-08(14)/2018, दिनांक 17 जलाई, 2023 एवं संलग्न पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1822/तीस-3-2023, दिनांक 03.07.2023 की प्रति संलग्न करते हुये अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्" की दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या-43/सत्तर-3-2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् है :-

### 1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत यथसंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

### 2. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

(1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिये चौराहों पर प्रचार-प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

### 3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासंभव यातायात पुलिस/परिवहन

विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल, सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त एवं संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये इसकी अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 01-08-2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन की ई-मेल आई.डी. hesection.3@gmail.com पर हार्ड कापी प्रेषित करते हुये उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई-मेल आई०डी०-upshec@gmail.com पर साफ्टकॉपी Kruti dev 010 Font, M.S. Word में एवं हार्डकॉपी PDF File में प्रेषित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे संकलित सूचना शासन को यथानिर्धारित समय पर प्रेषित की जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक : शासन के पत्र एवं प्रारूप

भवदीय

डॉ०(दिनेश कुमार)  
अपर सचिव

पत्रांक : — /रा०उ०शि०प०/ — / — तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

डॉ०(दिनेश कुमार)  
अपर सचिव

वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपेक्षित आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप :-

विश्वविद्यालय का नाम :-

क्र.सं.	शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश	संक्षिप्त अनुपालन आख्या
1.	<p>शिक्षकों का प्रशिक्षण</p> <p>अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।</p>	
2.	<p>एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार</p> <p>(1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिये चौराहों पर प्रचार-प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।</p> <p>(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस.रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।</p>	
3.	<p>सेमिनार/गोष्ठी</p> <p>प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें</p>	

	<p>उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।</p>	
4.	<p>रोड सेफ्टी क्लब का गठन प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।</p>	
5.	<p>जागरूकता कार्यक्रम अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।</p>	
6.	<p>सड़क सुरक्षा शपथ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।</p>	

कुलसचिव  
हस्ताक्षर दिनांक, मुहर  
सहित

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,

उच्च शिक्षा उ०प्र०,  
प्रयागराज।

3

विशेष कार्याधिकारी,  
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

2 कुल सचिव,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2023

विषय:-वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1822/तीस-3-2023, दिनांक 03.07.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ०प्र० राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की" दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17.07.2023 से 21.07.2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या-43/सत्तर-3-2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

## 1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

- (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार-प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।
- (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

### 3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उत्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

### 4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

### 5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी।

### 6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 02.08.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आईडी0-[hesection.3@gmail.com](mailto:hesection.3@gmail.com) पर हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

( गिरिजेश कुमार त्यागी )  
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक सूचना, उ०प्र०।
- 7- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
- 10- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त ( ) प्रारूप की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( प्रेम कुमार पाण्डेय )  
संयुक्त सचिव



प्रमुख सचिव कार्यालय में  
प्राप्त दिनांक 06/07/2023

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता  
संख्या-1822/तीस-3-2023

संख्या 948/NRPPSHED/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त मण्डलायुक्त, 30 प्र०।
- 2 समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, 30 प्र०।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, 30 प्र०।
- 4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद /प्रयागराज ।
- 5 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30 प्र०।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2023

विषय : वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

71050 (G) मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' की दिनांक 09-10-2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

06/07/23 (एम० पी० अग्रवाल) उल्लेखनीय है कि माह जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक के सड़क दुर्घटना एवं प्रमुख सड़कियों की संख्या में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम होने के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सड़क, दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में सर्वाधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है।

3184(vsb)/23 45(A) मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया

07-7-23 जाना तितांत आवश्यक है।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

503  
07/07/23

श्री अमित  
7.7.2023

3. उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 'सड़क सुरक्षा पखवाड़ा' दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,

Signed by दुर्गा शंकर  
मिश्र

Date: 03-07-2023 12:42:22

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, ३० प्र० शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, ३० प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, ३० प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, ३० प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ३० प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ३० प्र० शासन।
- ✓ 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ३० प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ३० प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, ३० प्र० शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, ३० प्र०।
11. परिवहन आयुक्त, ३० प्र० लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, ३० प्र० रा० स० परिवहन निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, यातायात, ३० प्र० लखनऊ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन० वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

**सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 17.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा**

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0 नि0 वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम	<p>उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेल्मेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए।</li> <li>● पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।</li> <li>● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।</li> <li>● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना।</li> <li>● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई 0 टी 0 एम 0 एस 0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैम्बर किये हुए उल्लंघन-कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना।</li> </ul> <p>जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए 0 आर 0 टी 0 ओ 0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ 0 प्र 0 को प्रेषित किया जाए।</p>					
द्वितीय	सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई-टैक्सी उनके पदाधिकारियों	परिवहन निगम के बस ड्राइवर्स एवं बसों के चालकों के स्वच्छता अभियान	ऑटो रिक्शा, डिपो रिक्शा, टैक्सी चालकों के संगठन के बैठक बुलाकर	ई-समस्त एवं स्वामित्व के विभाग/ कार्यालय परिसर में उच्च अधिकारी/संस्थानों	सड़क उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एजेंसी विद्यालयों में उच्च शिक्षा संस्थानों	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त एनआईसी नियुक्त DISTRICT ROLL OUT

<p>साथ सड़क सुरक्षा चलाते हुए उन्हें यातायात कर्मचारी द्वारा छात्रों, Manager के साथ जागरूकता कार्यक्रम कार्यवाही नियमों के संबंध में जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा के अध्यापकों एवं समन्वय स्थापित का आयोजन किया गया। जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा के अभिभावकों के करतें हुए चिकित्सा जाना। परिवहन करते हुए सड़क मध्य सड़क एवं स्वास्थ्य विभाग समस्त ऑटो, टैक्सी विभाग के सुरक्षा शपथ सुरक्षा से के कर्मियों को वालक यूनिट के कार्यक्रम में कराराया जाना तथा संबंधित Handholding पदाधिकारियों को अपेक्षित फोटो ग्राफ्स प्रेषित जागरूकता प्रशिक्षण देना तथा चालक एवं उनके सहयोग प्रदान किया जाना। कार्यक्रम का लम्बित सड़क आश्रितों को आयुष्करना तथा आयोजन किया दुर्घटनाओं के विवरण मान भारत योजना के जागरूकता जाना। सभी को एप पर फीड अंतर्गत रु0 5.00 कार्यक्रम में विद्यार्थियों को करना। लाख का बीमा प्रदान निगम के सड़क सुरक्षा किये जाने हेतु चालक, शपथ दिलाई जाये। जागरूक किया जाना परिचालकों तथा को शामिल चालकों/आश्रितों की कराना। सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाना।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>
<p>दो पहिया वाहन की निगम की बसों दो पहिया वाहन की वर्ष 2023 में माध्यमिक एवं समस्त व्यावसायिक हेल्मेट (चालक एवं की फिटनेस हेल्मेट (चालक एवं चिन्हित नवीन उच्च शिक्षण संस्वाहन चालकों एवं पीछे बैठी सवारी की जांच कर पीछे बैठी सवारी ब्लैक स्पॉट का थानों में परिवहन निगम के सहित), सीटबेल्ट, कमियों को दूर सहित), सीटबेल्ट, सत्यापन कर संचालित रोड बस चालकों का मोबाइल फोन, गलत करना तथा मोबाइल फोन, गलत सड़क निर्माण सेप्टी क्लर्बों के स्वास्थ्य जॉच कार्ड दिशा में वाहन का सड़क सुरक्षा दिशा में वाहन का एजेंसी/ विभाग का अंतर्गत सड़क के अनुसार नेत्र एवं संचालन करने के के दृष्टिगत संचालन करने के निर्धारण एवं सभी सुरक्षा संबंधी स्वास्थ्य जॉच किया विरुद्ध लोगों को थर्सों में विरुद्ध लोगों को ब्लैक स्पॉट का जागरूकता जाना। जागरूक करते हुए स्थापित जागरूक करते हुए विश्वकर्मा एप में कार्यक्रम का प्रभावी प्रवर्तन पब्लिक एड्रेस प्रभावी प्रवर्तन अंकन का कार्य पूर्ण आयोजन कार्यवाही किया सिस्टम द्वारा कार्यवाही किया कराराया जाये। कराना, शिक्षण जाना। सड़क सुरक्षा जाना। संस्थानों में आने सम्वन्धी प्रचार-प्रसार का दो पहिया वाहन चालकों एवं किया जाना। वाहन चालन के परिवहन निगम के बस चालकों को समय हेल्मेट का प्रयोग अनिवार्य</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>	<p>जागरूक किया जाए।</p>

	स्वास्थ्य जॉच कार्ड परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।				करना। ऐसे जनपद जिनमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।	
चतुर्थ	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, नोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही जाना।	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को बसों में स्थापित एड्रेस प्रभावी प्रवर्तन सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना।	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, नोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही जाना।	जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी/ ठेकेदार का IRC-SP-55 के अनुसार वर्क जोन सेफ्टी के प्रावधानों के साथ- साथ रोड सेफ्टी के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण दिया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	ट्रामा सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सतत संजीवनी सेवा के क्रियान्वयन की दिशा में अग्रतर कार्यवाही।
पंचम्	सेव लाइफ फाउण्डेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों में बस/ट्रक /टैम्पो/टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा/ परिवहन निगम के चालकों को सेफ ड्राइविंग एवं फर्स्ट रेसपान्डर का प्रशिक्षण दिया जाना।	इंजन ड्राइविंग, रेड लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरुद्ध अभियान।	वर्ष 2016, 2018, 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा छात्रों एवं उनके माध्यम से फर्स्ट	टोल प्लाजा कार्य करने वाले लोगों एवं आस-पास रहने वाले अन्य स्वैच्छिक व्यक्तियों को सेव लाइफ फाउण्डेशन के से फर्स्ट	

				चिन्हित कर उन्हें अभिभावकों के रिपोर्टर ट्रेनिंग पूर्ण कराया जाना। सड़क सुरक्षा के दिया जाना। निर्माणाधीन प्रति जागरूक परियोजनाओं के किया जाना। कार्यस्थल पर वर्क जोन सेफ्टी के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन किया जाना।		
षष्ठम	पूर्वाह्न- परिवहन निगम के अधिकारियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजन चालकों/परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया जाए तथा परिवहन निगम के चालकों हेतु बस स्टेशन पर ही हेल्थ केम्प का आयोजन कर चालकों/परिचालकों की सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जॉंच परीक्षण किया जाए।  अपराह्न-अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम के स्टेशनों पर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा चालकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हेल्थ परीक्षण शिविर खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान।	अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गों पर सुधार वाले कार्यों के किनारे को चिन्हित कर पूर्ण कराया जाना। चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। शहर के प्रमुख स्थलों पर अवैध रूप से वाहनों के विरुद्ध अभियान।	सेवर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित माध्यम ब्लैक जनपद के निरीक्षण तत्कालिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों को छात्रों हेतु सड़क सुरक्षा एवं लाइफ सपोर्ट यातायात नियमों एडवान्स डेसिक के प्रति प्रशिक्षित लाइफ सपोर्ट से संबंधित एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन।	मास्टर ट्रेनर के सेविभाग द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज के सर्जरी एवं हड्डी रोग एवं पैरामेडिकल हेतु बेसिक सपोर्ट एवं डेसिक से संबंधित एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन।	चिकित्सा शिक्षा
सप्तम्	पूर्वाह्न- ओवर लोडिंग/गलत प्लेट, एचएसआरपी	परिवहन निगम की बसों में बिना रिट्रो-फ्लेक्चिबिलिटी	स्वयं सेवी संस्थाओं में अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर	पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित सामान्य सुरक्षा साइन बोर्ड	सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र सहयोग किया जाना।	परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अपेक्षित सहयोग किया जाना।

	<p>वाहन, सड़क के टेप, किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप हेडलाइट, की चेकिंग किया जाना तथा लेन-प्लेट, ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क की सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना। अपराह्न- टैम्पो/टैक्सी एवं एसोसिएशन के साथ विचार गोष्ठी स्कूली वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामान्य नेत्र परीक्षण आयोजन तथा सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।</p>	<p>बैकनि:शुल्क रेट्रो-लथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना हेतु प्रेरित किया जाय एवं साइनबोर्ड/रोड मार्किंग में पंजीयन नम्बर लगाया जाए तथा सड़क के किनारे को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही एवं समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छाटाई किया जाना।</p>	<p>परीक्षण हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भेजा।</p>	
8 वॉ	<p>प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व से अधिक फैलाने वाले की मॉडीफाईड साइलेन्सर/हूटर/प्रेसर हॉर्न का प्रयोग प्रदूषण परिचालकों की चेकिंग। उपस्थिति करार कर उनके नध्य सड़क सुरक्षा सेविवरुद्ध</p>	<p>परसकरी पुलिया को चिन्हित करते हुए हूटर/आवश्यक सुरक्षात्मक उपायगठित रोड सेपटीयथा-बोर्ड लगाया, कलबों द्वारा छात्रों के कौमिंग को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण के प्रति जागरूक किया</p>	<p>माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेपटीय एम्बुलेंस का निरीक्षण</p>	<p>108 एम्बुलेंस/ एन 0 एच 0 ए 0 आई 0/ एक्सप्रेस वे की सेपटीय एम्बुलेंस का निरीक्षण एवं</p>

	काली फिल्म की चेकिंग।	संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। क्विज कम्पटीशन में विजेता क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	अभियान।	प्रायधान को स्थापित किया जाना तथा पूर्व में किये गये प्रायिधानों का समुचित रख-रखाव किया जाना।	जाना।	एम्युलेसेंस द्वारा दी जा रही प्री-हास्पिटल केयर के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही।
9 वॉ	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडीफाइड साइलेन्सर/हूटर/प्रेसर हॉर्न की चेकिंग।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैंडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त आई 0 टी 0 एम 0 ए स 0 को यू पी 0 112 से इंटीग्रेट किया जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एन 0 आई 0 सी 0 संस्थानों में नियुक्त संचालित (एन 0 एस 0 एस 0 / एन 0 सी 0 सी 0) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसी को प्रशिक्षण देना तथा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन 0 एस 0 एस 0 / एन 0 सी 0 सी 0) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विद्यार्थियों के लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन 0 एस 0 एस 0 / एन 0 सी 0 सी 0) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
10 वॉ	समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों को स्वास्थ्य जांच कार्ड परिवहन	सभी जनपदों में स्थापित सिप्रल	सभी जनपदों में ट्रैफिक तथा	के विवरण को एप पर फीड करना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के	सभी अस्पतालों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा



	विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।	सी0 सी0 टी0 वी0 / ए0 एन0 पी0 आर0 आदि कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।		विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता आयोजन किया जाना।	के (विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
11 वॉ	ड्रंकन तथा स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना। स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप चेकिंग किया जाना तथा ट्रैफिक जाम के विरुद्ध कार्यवाही।	ड्राइविंग परिवहन निगम के चालकों का ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध ब्रेथ प्रवर्तन के विरुद्ध प्रतीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना। क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही की समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छटाई किया जाना।	बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
12 वॉ	ड्रंकन तथा स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	ड्राइविंग परिवहन निगम के चालकों का ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध ब्रेथ प्रवर्तन के विरुद्ध प्रतीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच किया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच किया जाना।
13 वॉ	ओवर लोडिंग गलत नम्बर प्लेट की बसों की	परिवहन निगम शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित	एक्सप्रेस-वे तथा	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के	

	लगे वाहनों, सड़क के किनारे अवैध वाहनों रेट्रो रिफ्लेक्टिव की चेकिंग जाना तथा ड्राइविंग का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	प्रदूषण खड़े एवं यथा-वाइपर, टेप इंडिकेटर, डैक एक फिनारे, लाइट, हैंडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	एयर् मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली सड़क के किसी एक फिनारे पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना।	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर कोलेन-ड्राइविंग तथा ओवरस्पीडिंग करने हेतु चालकों को प्रशिक्षित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना।	माध्यम से बेसिक/माध्यम उच्च शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाना।	
14 वॉ	परिवहन निगम शहरों में गलत नम्बर प्लेट के लगे वाहनों, सड़क के किनारे अवैध वाहनों रेट्रो रिफ्लेक्टिव की चेकिंग जाना तथा ड्राइविंग का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	परिवहन निगम शहरों में बाजार क्षेत्रों में संचालित बसों की मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली सड़क के किसी एक फिनारे को स्थापना का क्षेत्रीय पार्किंग हेतु निर्धारण प्रबन्धक स्तर से कर बोर्ड लगाया जाना।	समस्त अभियंत्रण परिवहन विभाग के मागों एवं स्वास्थ्य सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की तैयारी के लिए सड़क के किनारे कोमिंग मेजर्स की स्थापना का मौखिक सत्यापन जांच।	परिवहन विभाग के स्वास्थ्य सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की तैयारी के लिए सड़क के किनारे कोमिंग मेजर्स की स्थापना का मौखिक सत्यापन जांच।	परिवहन विभाग के स्वास्थ्य सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की तैयारी के लिए सड़क के किनारे कोमिंग मेजर्स की स्थापना का मौखिक सत्यापन जांच।	
15 वॉ	जनपद के जनप्रतिनिधि जिला एवं प्रशासन अधिकारियों उपस्थिति में	परिवहन निगम के उपकरणों का परीक्षण करवाते हुए जानकारी को समाप्त	ट्रैफिक व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परीक्षण करवाते हुए जानकारी को समाप्त	वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित की अवशेष ब्लैक स्पॉट का ट्रैफिक तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों	समस्त दिवसों पर 0 आर 0 टी 0 ओ संचार, संभागीय निरीक्षक (प्राथमिक) तथा संचालित कर मुख्य चिकित्साधिकारी	0 आर 0 टी 0 ओ संचार, संभागीय निरीक्षक (प्राथमिक) तथा संचालित कर मुख्य चिकित्साधिकारी

<p>ट्रक, ऑटो यूनिवर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सड़क सुरक्षा परखवाड़ा/पालक/परिचालक/सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन एन 0 जी 0 ओ 0/ तीन व्यक्तियों /जनपद के गुड सेमेरिटन/रोड सेप्टी क्लंब के अतिरिक्त स्टेक होल्डर विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक/मास्टर ट्रेनर/ अभियन्ताओं को सम्मानित किया जाना।</p> <p>समस्त आरटीए के सचिव द्वारा ऑटो, टैक्सी चालक एवं उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रू0 5.00 लाख का बीमा प्रदान किये जाने हेतु बालकों/आश्रितों</p>	<p>कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित किया जाना।</p> <p>सफाई कर्मियों को सम्मानित किया</p>	<p>जाँना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित किया</p> <p>जाँना।</p> <p>जाँना।</p>	<p>को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।</p> <p>लो 0 नि 0 वि 0, एन.एच.ए.आई., उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग के मुख्यालय द्वारा समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।</p>	<p>मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात 108 एम्बुलेंस को परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा 108 एम्बुलेंस को टोल प्लाजा से हटा कर ब्लैक स्पॉट या घलनरेबल स्पॉट पर पुर्नस्थापना तथा एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम कम किये जाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही।</p>
---	--	--	--	--	---

9

की संकलित सूचना मुख्यालय प्रेषण का प्रमाण-पत्र प्रेषित करना।					
--	--	--	--	--	--

वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-822/30-3-2023, दिनांक 03.07.2023 के साथ संलग्न कार्यक्रम की सूची

दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक

क्रमांक	दिनांक/दिवस	बिन्दु
1	प्रथम	<p>उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए।</li> <li>• पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।</li> <li>• सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।</li> <li>• सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उक्तके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना।</li> <li>• सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई 0 टी0 एम0 एस0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघन कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना।</li> </ul> <p>जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेप्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए0आर0टी0ओ0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाये।</p>
2	द्वितीय	<p>उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के माध्यम सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।</p>

3	तृतीय	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित रोड सेफ्टी क्लबों के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराना, शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों का दो पहिया वाहन चालन के समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना। ऐसे जनपद जिसमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।
4	चतुर्थ	उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।
5	पंचम	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च शिक्षा के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
6	षष्ठम	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।
7	सप्तम्	सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भेजना।
8	आठवाँ	महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
9	नवाँ	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।
10	दसवाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
11	11वाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
12	12वाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
13	13वाँ	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेंसी के माध्यम से उच्च शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाना।
14	14वाँ	परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की नेत्र जाँच।
15	15वाँ	समस्त दिवसों की सूचनायें फोटोग्राफ सहित संकलित कर विभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।